प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2022***

विषय:- जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्ण कुमार सिंह पुत्र श्री पराग सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कृष्ण कुमार सिंह पुत्र श्री पराग सिंह, रायगढ़ बेहड़ा, थाना-हुजूरपुर, जनपद-बहराइच का निवासी है। बन्दी द्वारा प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 05.08.1995 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, कांता व बन्दूको से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 324/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट), बहराइच के दण्डादेश आदेश दिनांक 16.02.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.10.2020 तक 04 वर्ष, 10 माह, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 00 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बहराइच ने बंदी द्वारा नृशस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किये जाने, बंदी के कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध की प्रवल सम्भावना होने एवं बंदी को कारागार में आगें निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कृष्ण कुमार सिंह (बन्दी संख्या-10/20) पुत्र श्री पराग सिंह, निवासी जनपद-बहराइच की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/2022/1218(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बहराइच ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in